

## खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सल्लहपुर परगना : (हरामगर) तहसील : बिजनौर जिल्ला : बिजनौर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 खाता संख्या : 00185

खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
<b>श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।</b>				
यशवीर सिंह / गणेश सिंह / शादीपुर कलों	3	1.7800	1416फ0- यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को दिनांक 22-12-08 को पी0 एन0 बी0 हल्लदौर में बंधक करके 1,10,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0दा0 19-2-09 .	1429फ - शाखा प्रबन्धक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 हल्लदौर द्वारा जारी भूमि मुक्ति पत्र 95/23.2.22 के आधार पर यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने दिनांक 30.8.11 को लिया ऋण 3,50,000/- रु0 जमा करने पर भूमि भार मुक्त की जाती है। ह0र0का0 04.3.22
शौबीर सिंह / गणेश सिंह / शादीपुर कलों	5	0.4120	1416फ - शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह व अमित कुमार पुत्र शौबीर सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 04.6.09 को पी0 एन0बी0, हल्लदौर में बन्धक करके 90,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0 दारा0 15.6.09	1429फ - शाखा प्रबन्धक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0 हल्लदौर द्वारा जारी भूमि मुक्ति पत्र 95/2/ 06.4.22 के आधार पर यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने दिनांक 26.4.12 को लिया ऋण 3,50,000/- रु0 जमा करने पर भूमि भार मुक्त की जाती है। ह0र0का0 6.4.22
महेन्द्र सिंह / गणेश सिंह / शादीपुर कलों			1416फ - शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह व अमित कुमार पुत्र शौबीर सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 04.6.09 को पी0 एन0बी0, हल्लदौर में बन्धक करके 4,00,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0 दारा0 15.6.09	
जयवीर सिंह / गणेश सिंह / शादीपुर कलों			1417फ0-धर्मवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को दिनांक 28-01-10को पी0एन0 बी0 हल्लदौर में बंधक करके 3,00,000/-रु0ऋण लिया।ह0र0का0दा0 28-01-10	
गजेन्द्र / धर्मवीर सिंह / नि. ग्राम शादीपुर कलों			1417फ - महेन्द्र सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 15.4.10 को पी0 एन0 बी0, हल्लदौर में बन्धक करके 2,60,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0दारा0 20.4.10	
सोमवती देवी / पत्नी धर्मवीर सिंह / नि0 ग्राम शादीपुर कला			1418फ0-यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को दिनांक 28-03-11 को पी0 एन0 बी0हल्लदौर में बंधक करके 2,30,000/-रु0 ऋण लिया।ह0र0का0दा0 31-03-11	1429फ - यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 11.4.22 को PNB हल्लदौर में बन्धक करके 8,90,000/- रु0 ऋण लिया। ह0र0का0 12.4.22
राहल सिंह / सुरेन्द्र सिंह / नि0 ग्राम शादीपुर कला			1418फ0-शौबीर ंसिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 24.06.11 को पी0एन0बी0हल्लदौर मे बन्धक करके 2,40,000/-ऋण लिया ह0र0का0दा0 25.06.11	
अनमोल कुमार / सुरेन्द्र सिंह / नि0 ग्राम शादीपुर कला			1419फ0-शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 19.04.12 को यूनियन बैंक आफ इन्डिया हल्लदौर मे बन्धक करके 2,00,000/-ऋण लिया ह0र0का0दा0 09.04.12	
प्रमोद देवी / पत्नी सुरेन्द्र सिंह / नि0 ग्राम शादीपुर कला			1419फ0-यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को दिनांक 26-04-12को उ0 प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक हल्लदौर मेंबंधक करके 3,50,000/-रु0 ऋण लिया।ह0र0का0दा028-04-12	
			1420फ0-शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को भारतीय स्टेट बैंक बिजनौर में बंधककरके 4,00,000/- (ट्रेक्डर हेतु )+2,26,000/- (के0सी0सी0) रु0 ऋण लिया। ह0र0का0दा016-01-13	

1420फ0-बकरीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 02.03.13 को पी0एच0बी0 हल्दौर में बंधक करके 2,78,000/- रूपय लिया ह0र0का0दा0 06.03.13

1421फ0-अष्टनाथपुर उपजिलाधिकारी बिजनौर अष्टनाथ दिनांक 12-09-13 के अनुसार बकरीदारशौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह, अमित कुमार पुत्र शौबीरसिंह द्वारा बैंक देय धरमणि 36,62,541/- अन्य कायगतन न करने के कारण निम्नलिखित सम्पत्ति को कुर्क कर लिया गया है

तथा आगे किसी आजा के दिए जाने तक संरक्षित सम्पत्ति को विक्रय, दान या अन्य गति से हस्तान्तरित करने या उसपर प्रभार उत्पन्न करने से आजाको प्रतिबन्धित तथा निगूहित किया जाता है तथा यह कि सम्पत्ति उस सम्पत्ति को क्रेय, दान या अन्य रूप से प्राप्त करने से प्रतिबन्धित हो और उन्हे पदद्वारा ऐसा करके प्रतिबन्धित

किया जाता है। मौजा शादीपुर कलां खता सं0 221 गटा 217, 232एकका 0.727 लगान 21.45।मौजा नसीरपुरनैसिंह खता सं0 70, 71 गटा सं0 173, 174 एकका 0.550, 1.274 लगान 13.65, 29.60रु0 का बकदरभाग।मौजा सल्लाहपुर खता सं0 83 गटा सं0 3, 5एकका 2.192रु0 लगान 46.75रु0 का बकदरभाग।

मौजा शादीपुर कलां खता सं0 237 गटा सं0 213, 214एकका 1.146रु0 लगान 29.10रु0 का बकदर भाग।ह0र0का0दा0 22-10-13

1423फ0-शौबीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि को दिनांक 8-10-09 को इण्डियन बैंक बिजनौर में बंधक करके 4,60,000/-रु0काम लिया। ह0र0का0दा0 22-12-15

1425 फ - श्रीमान उपजिलाधिकारी बिजनौर द्वारा अर0 सी0 प्रयत्न 41 भूमि और अन्य अचल सम्पत्तियों की कुर्की में दिनांक 25.8.17 को अदालत हुआ कि बकरीदार यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 शादीपुर कलां द्वारा बैंक देय बकाया 638515/- व अन्य देय अदा न करने करने पर मौजा नसीरपुर नैसिंह स्थित सम्पत्ति खता सं0 40 गटा सं0 175 मि / 0.167 व 177 / 0.542 व 173 मि / 0.126 मालगुजारी 23.15 के बकदर भाग व खता सं0 70 गटा सं0 174 / 1.274 मालगुजारी 29.60 के बकदर भाग व ग्राम सल्लाहपुर के खता सं0 90 गटा सं0 3/ 1.780 व 5 / 0.412 मालगुजारी 46.75 के बकदर भाग व खता सं 160 गटा सं0 7/ 0.326 हे0 मालगुजारी 8.35 के बकदर भाग व ग्राम जलालपुर हसना के खता सं0 62 खस्ता सं0 3 / 0.531 हे0 मालगुजारी 10.40 के बकदर भाग व ग्राम शादीपुर कलां के खता सं0 235 गटा सं0 146 / 0.305 व 183 / 0.030 व 173 / 540 / 0.020 मालगुजारी 20.15 के बकदर भाग व खता सं0 171 गटा सं0 197 / 0.597 लगान 19.90 के बकदर भाग उक्त अधोलिखित सम्पत्ति जब्त कर ली गयी है और उक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण या बिक्री दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन से निशेद्ध और अवरूद्ध किया जाता है और अन्य व्यक्तियों को भी उक्त सम्पत्ति की बिक्री दान या अन्या रूप में प्राप्त करने से निशेद्ध और अवरूद्ध किया जाता है। ह0 र0 का0 दार0 14.11.17

1425फ - धर्मवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह ने खाता राजा की अपनी भूमि दिनांक 20.4.18 को पी0 एच0 बी0 हल्दौर में बंधक करके 857000/- रु0 रूपय लिया। ह0 र0 का0 बि0 24.4.18

1428फ0-र0नि0 अम्नेडा द्वारा प्रपत्र अर0 सी0 9 ख पर वाद सं0 20201313400713000466/14-8-2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0 123 कुल गटे 2/0.261 व खाता सं0 185 कुल गटे 2/2.192 व खाता सं0 151 गां0 सं0 4/0.361 हे0 से मृतक महेन्द्र सिंह पुत्र गणेश सिंह के स्थान पर विमला पत्नी महेन्द्र सिंह व मोहन सिंह व गुशांत कुमार पुत्रगण महेन्द्र सिंह नि0 शादीपुर कलां का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। र0र0का0दा0 26-9-2020

1428फ - न्यायालय चकबन्दी अधिकारी नियम 109 बिजनौर वाद सं0 8 अर0टी0 अन्तर्गत नियम 109क उ0प्र0जे0च0 नियमावली ग्राम सल्लाहपुर परगना दरामगर रूपचन्द बनाम सरकार में दिनांक 09.2.18 को आदेश हुआ कि ग्राम सल्लाहपुर परगना दरामगर में श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बिजनौर के अपील सं0 36 रीता देवी बनाम पुष्पेन्द्र कुमार आदि व अपील सं0 37 रीता देवी बनाम पुष्पेन्द्र कुमार आदि अन्तर्गत धारा 11(1) उ0प्र0जे0च0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 13.9.17 के द्वारा चकबन्दी अधिकारी हल्दौर के वाद सं0 1 व 17 अन्तर्गत धारा 9क(2) जो0च0अ0 में पारित आदेश दिनांक 20.5.10 को निरस्त कर पत्रावली च0अ0 बिजनौर के न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की गयी कि खाता सं0 72, 86, 22 के संबंध में अंकित खातेद्वारा की वरासत / वसीयत के क्रम में पक्षों का सक्षय लेकर अंश व स्वत्व का निर्धारण करते हुये वाद का शीघ्र गुणदोष पर निस्तारण सुनिश्चित करें। इस प्रकार आधार वर्ष के खतौमी खाता सं0 72 तदनुसार खतौमी सन फसली 1416-1421 के खाता सं0 177 व 184 तदनुसार वर्तमान खतौमी खाता सं0 16, 17, 26, 185, 193, 214 पर चकबन्दी अधिकारी हल्दौर के वाद सं0 1 व 17 अंतर्गत धारा 9क(2) जो0च0अ0 में पारित आदेश दिनांक 20.5.10 के अनुपालन में पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.11.11 निरस्त हो। र0र0का0 दा0 02.3.21

1429फ - कार्यालय तहसीलदार बिजनौर पत्रांक 1013 / वा0बा0न0 2022 दिनांक 15.3.22 को आदेश हुआ कि बैंक देय के बाकीदार यशवीर सिंह पुत्र गणेश सिंह नि0 शादीपुर कलां पर बैंक देय की बकाया अंकन 638515.00 र0 अदा न करने की ऐवज में बाकीदार की अवल सम्पत्ति कृषि भूमि खाता सं0 44 गारा सं0 175मि0 /0.1670, 177/0.5420, 173मि0 /0.1260 मालगुजारी 23.15 मौजा नसीरपुर नैन सिंह व खाता सं0 185 गारा सं0 3/1.7800, 5/0.4120 मालगुजारी 46.75 मौजा सल्लाहपुर व खाता सं0 186 गारा सं0 7 /0.3260 मालगुजारी 9.35 मौजा सल्लाहपुर व खाता सं0 123 गारा सं0 3/0.5310 मालगुजारी 10.40 मौजा जलालपुर हसना व खाता सं0 235 गारा सं0 146/0.3050 गारा सं0 183/0.0300, 173/549/0.0200 मालगुजारी 20.15 मौजा शादीपुर कलां व खाता सं0 174 गारा सं0 197/0.597 मालगुजारी 17.90 मौजा शादीपुर कलां व खाता सं0 68 गारा सं0 174/1.2740 मालगुजारी 29.60 मौजा नसीरपुर नैन सिंह को उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिनांक 25.8.17 को कुर्क कर लिया गया था। बाकीदार द्वारा बैंक देय की सम्स्त बकाया अदा कर दी गयी है जिसके उपरान्त उपजिलाधिकारी महोदय ने उक्त कुर्क शुद्ध अराजी कृषि भूमि को दिनांक 15.3.22 को कुर्की से मुक्त कर दिया गया है। र0र0का0दा0 16.3.22